संख्या —— /17–XIX-2/36 खाद्य/2017टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 13 नवम्बर, 2017

विषय :खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि खरीफ खरीद सत्र 2017–18 हेतु धान क्रय नीति शासनादेश सं0 828/17–XIX–2/36 खाद्य/2017 दिनांक 07.10.2017 द्वारा निर्गत की गयी है एवं शासनादेश सं0 832/17–XIX–2/48 खाद्य/2017 दिनांक 10.10.2017 द्वारा कतिपय निर्देश निर्गत किये गये हैं। धान क्रय नीति के कियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान खरीफ खरीद नीति 2017–18 के अन्तर्गत धान का क्रय, नामित क्रय एजेन्सियों के अतिरिक्त कच्चा आढ़तियों (कमीशन एजेण्ट) के माध्यम से भी किया जाय। कच्चा आढ़ती विभाग के सब–एजेण्ट के रूप में कार्य करेंगे। कच्चा आढ़ती द्वारा धान क्रय शासनादेश सं0 677/16–XIX–2/21 खाद्य/2016 दिनांक 30.09.2016 में स्थापित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

2– कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान क्रय हेतु शासनादेश सं0 828/17–XIX–2/36 खाद्य/2017 दिनांक 07.10.2017 जारी दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– खरीफ विपणन सत्र 2016–17 में कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान क्रय नीति दिनांक 30.09.2016 के प्रस्तर 5 (1) एवं (2) में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य की गयी है। वर्तमान में कार्मिकों की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत नीलामी प्रक्रिया से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्मिकों को प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

4– प्रश्नगत् धान क्रय में समस्त संस्थाओं/क्रय एजेन्सियों द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(i) किसानों को तत्काल उनकी उपज का विक्रय उपरान्त न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदत्त किया जाय।

(ii) यदि किसी कृषक द्वारा उत्पीड़न से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत की जाय तो उसका तत्काल निराकरण किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाय।

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों का धान निर्धारित मानकों का होने पर प्राथमिकता पर खरीदा जाय एवं तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(v) सहकारिता विभाग द्वारा कृषकों से क्रय किये गये धान का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

5– इस संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि धान के बोरों एवं चावल मिलर्स द्वारा चावल के बोरों के भराई, सिलाई एवं स्टेंसिल्स, कलर कोडिंग, ब्रॉडिंग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों एवं आदेशों व शासनादेश सं0 828/17–XIX–2/36 खाद्य/2017 दिनांक 07.10.2017 में स्थापित दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यदि प्रश्नगत् व्यवस्थाओं को और अधिक स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता हो तो अपने स्तर से अधीनस्थों को यथोचित दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

6– यह आदेश वित्त विभाग कें अ0शा0 पत्र सं0 165 मतदेय/XXVII(5)/17-18 दिनांक 13.11.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव।

संख्या 856 (i)/17–XIX-2/36 खाद्य/2017टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।